(4) स्कूल में उपलब्ध कक्षा-कक्ष और छात्रावास में स्थान की उपलब्धता ।

(5) स्कूल में उपलब्ध स्टाफ और अन्य सुविधायें ।

(ख) 1991–92 में सैनिक स्कूल तिलैया में 870 छात्र, छात्रावास में रहने वाले थे और 51 छात्र ऐसे स्थानीय छात्र थे जो केवल दिन में स्कूल आते थे । सैनिक स्कूलों में प्रवेश केवल छठी कक्षा में होता है और वह भी अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर । यह परीक्षा हर वर्ष फरवरी में होती है । बिहार में सैनिक स्कूल में भर्ती होने वाले लड़कों को उस वर्ष में 2 जुलाई को 10 और 11 साल की आयु के बीच के में होना चाहिए और उन्हें स्वस्थ की दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए । 25% सीटें भूतपूर्व सैनिकों और रक्षा कार्मिकों के बच्चों के लिए आरक्षित है, 22 5% सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के छात्रों के लिए आरक्षित होती हैं । सैनिक स्कूल तिलैया, एक जूनियर आवासीय स्कूल भी चलाता है जिसमें 235 छात्र छात्रावास में रहने वाले और 199 छात्र दिन में पढ़ने के लिए आने वाले हैं ।

(ग) स्कूल में स्थायी रूप से बना हुआ एक शयनागार और एक बड़ा भोजन कक्ष है, जिसका निर्माण बिहार सरकार ने अपनी निधि से करवाया है ।

(घ) 1988–89 से 1990–91 के प्रत्येक वर्ष के लिए 30 अप्रैल, को समाप्त होने वाली अवधि के लिए स्कूल द्वारा किया गया व्यय इस प्रकार है :–

वर्ष	व्यय (लाख रुपए में)
1988–89	103.75
1989–90	112.15
1990–91	116.90

अगले वर्ष के लिए बजट स्कूल द्वारा मार्च-अप्रैल, 1993 तक तैयार किया जाएगा । इस स्तर पर 1993–94 के लिए बजट की राशि बताना संभव नहीं है ।

लड़ाई में मारे गये जवानों के परिवारों को राहत देना

4022. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान सीमा-वर्ती क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में मारे गये सेना के कितने जवान मारे गये और इन स्थलों का ब्यौरा क्या है जहां वे मारे गये ;

(ख) क्या अपने कर्तव्य के पालन के लिये अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे जवानों के परिवारों को राहत देने की कोई योजना है ;

(ग) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान ऐसे दिवंगत जवानों के परिवारों को किस-किस प्रकार की सहायता दी गई ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) 01 अगस्त, 1991 से 31 जुलाई, 1992 तक की अवधि में विभिन्न संक्रियाओं में 7 जे सी ओ तथा 160 अन्य रैंक वीरगति को प्राप्त हुए । इसका ब्यौरा इस प्रकार है :-

	जेसीओ	अन्य रैंक
मेघदूत संक्रिया (सियाचिन ग्लेशियर)	—	12
राइनों संक्रिया (असम)	—	14
आर्किड संक्रिया (नागालैंड)	—	12
हिफाजत संक्रिया (मणिपुर)	—	1
रक्षक संक्रिया (जम्मू और कश्मीर, पंजाब तथा राजस्थान)	7	121
	7	160

2 संक्रियाओं में मारे गए सेना कार्मिकों के निकट संबंधी निम्नलिखित सुविधाओं के हकदार हैं :–

(क) सेना कार्मिक द्वारा अंतिम बार ली गई परिगणनीय परिलब्धियों के बराबर उदारीकृत विशेष परिवार पेंशन इसके अलावा की गई सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित दरों पर परिवार उपदान भी दिया जाता है।

(ख) सेना सामूहिक बीमा योजना लाभ :

कार्मिकों की मृत्यु होने पर उनके परिवार निम्नलिखित दरों पर सेना सामूहिक बीमा योजना के लाभ पाने के हकदार भी होंगे :" –

अधिकारी – 1,4,1989 से 3,50,000 .

जे सी ओ/ अन्य रैंक 1 ,50,000 .

(ग) अन्य लाभ :

निम्नलिखित दरों से वित्तीय सहायता भी दी जाती है :–

(1) सेना अधिकारियों की हितकारी निधि — दिवंगत अधिकारियों के निकट संबंधी अधिकतम 18,000 रुपये के वित्तीय अनुदान के हकदार हैं।

(2) सेना कार्मिकों की पत्नियों की कल्याण समिति।

अधिकारी	–	2000 रुपये
जे सी ओ	–	1200 रुपये
ए न सी ओ	–	1000 रुपये
अन्य रैंक	–	800 रुपये

(3) सेना राहत निधि

अधिकारी	–	1000 रुपये
जे सी ओ	–	300 रुपये
अन्य रैंक	–	200 रुपये

(घ) रक्षा सेवा के अफसरों की भविष्य निधि/सशस्त्र सेना कार्मिकों की भविष्य निधि तथा छुट्टी का नकदीकरण जो भी लागू हो।

(ङ) रोजगार सहायता :

रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय/रोजगार कार्यालय के माध्यम से भरे जाने वाले समूह "ग" और "घ" के पदों पर नौकरी के लिए संक्रियाओं में मारे गए अथवा गंभीर रूप से घायल हुए सेना कार्मिकों के दो आश्रितों तक को प्राथमिकता–2 ए की हकदारी प्राप्त है।

(च) शिक्षा संबंधी रियायतें :

लड़ाई में मारे गए अथवा अपंग हुए रक्षा कार्मिकों के बच्चों को, जो शिक्षा विभाग के अधीन शैक्षिक संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, निम्नलिखित रियायतों की हकदारी प्राप्त है :–

(1) संबंधित शैक्षिक संस्थाओं द्वारा लगाया गया शिक्षा शुल्क तथा अन्य शुल्कों से पूरी छूट।

(2) उन बच्चों को जो छात्रावास वाले स्कूलों तथा कालेजों में

पढ़ रहे हैं, छात्रावास का खर्च पूरा करने के लिए सहायता अनुदान प्रदान करना।

(3) किताबों तथा लेखन सामग्री के पूरे खर्च की पूर्ति करना।

(4) जहां वर्दी अनिवार्य हो, वहां वर्दी की पूरी लागत से छूट देना।

(छ) मकानों के निर्माण/मरम्मत के लिए अनुदान :

राज्य सरकारों द्वारा लड़ाई में मारे गए कार्मिकों की पत्नियों को मकान के निर्माण/मरम्मत के लिए भुगतान किए जाने वाले ग्रांट के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति केन्द्र द्वारा की जाती है जिसकी अधिकतम सीमा 5000 रुपये है।

(ज) लड़ाई में मारे गए कार्मिकों की पत्नियों को उनकी पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान :

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड लड़ाई में मारे गए कार्मिकों की पत्नियों को उनकी पुत्रियों की शादी के लिए 1000 रुपये अनुदान के रूप में देता है।

(झ) रेल यात्रा रियायत :

लड़ाई में मारे गए कार्मिकों की पत्नियों को रेल से यात्रा करने के लिए द्वितीय श्रेणी के किराए में 75% तक की रियायत दी जाती है।

(ञ) पुनर्वास :

प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित कोटे के भीतर पेट्रोलियम पदार्थों, साग-सब्जियों तथा दूध की बिक्री के लिए एजेंसियां देना।

NCC training in Madhya Pradesh

4023. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of DEFENCE be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1801 given in the Rajya Sabha on the 27th July, 1992 and state:

(a) the number of students who were given NCC training during the last three years in Madhya Pradesh;

(b) whether Government propose to cover all the educational institutions in Madhya Pradesh under NCC programme in the near future; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) The number of students who were given NCC training in Madhya Pradesh during the last three years is given below:

1989-90	—	72013
1990-91	—	72355
1991-92	—	72581

(b) No, Sir.

(c) In view of the large financial implications, it is not possible to extend NCC cover to all the educational institutions in Madhya Pradesh.

Purchase of Battle Tanks

4024. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are negotiating the purchase of battle tanks with USA, Germany and France; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.